संख्या -199/2026/1734/35-4-2026/35-4099/176/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक: 13 नवम्बर, 2026

विषय– जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-220/2021/1892/35-4-2021, दिनांक 09.11.2021 द्वारा जनपद-बलिया में सड़क निर्माण से संबंधित 02 कार्यों की रू0 1603.10 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 160.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-88/2025/672/35-4-2025/35-4099/176/2024, दिनांक 31 जुलाई, 2025 द्वारा उक्त 02 कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में 1034.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार उक्त दोनों कार्यों पर अब तक कुल धनराशि रूपये 1194.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्रांक-974/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 24 अगस्त, 2026 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना अंकित करते हुये एवं टेण्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

3- अत: एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू. 269.00 लाख (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्र0	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित)**	**निविदा की लागत**	**(12%जीएसटी की धनराशि)**	**कार्य की लागत (जीएसटी) (नियमानुसार जोड़ने पर) (4 +5)**	**कुल बचत (3-6)**	**अब तक अवमुक्त धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम सभा खरूआंव में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	774.84	630.38	75.64	706.02	68.82	541.00	541.00	165.02
2	ग्राम सभा सिसवार में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	828.26	675.88	81.10	756.98	71.28	653.00	653.00	103.98
		1606.1	1310.26	161.74	1469	147.09	1202	1202	269.00

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2021 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरितकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र भी नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर अपलोड काराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू. 2,69,00000/- (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गतकिये जा रहे है।

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या - 199/2026/1734(1)/35-4-2026/35-4099/176/2024,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 शासन।
6. मंडलायुक्त, आजमगढ मण्डल ।
7. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
8. मुख्य विकास अधिकारी,बलिया।
9. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया ।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया ।
13. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।